न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक), जमवारामगढ़, जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री राजेश मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
239 / 2012 नये 148 / 2019	26 / 09 / 2012	03.10.2025

1. विश्वजीत सिंह पुत्र श्री ओमेन्द्र सिंह जाति चारण उम्र 1 वर्ष जरिये संरक्षिका प्राकृतिक माता श्रीमति सुमित्रा सिंह पत्नि श्री ओमेन्द्र सिंह निवासी 133, गोविन्द नगर, ब्रेनाड़ रोड जयपुर जिला जयपुर।

वादी

वनाम

1. ओमेन्द्र सिंह पुत्र स्व.श्री किशन सिंह निवासी काली पहाड़ी (चारणवास) तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।
2. जितेन्द्र सिंह पुत्र स्व.श्री किशन सिंह निवासी काली पहाडी (चारणवास) तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।
3. श्रीमति मोहन कंवर पत्नि स्व.श्री किशन सिंह निवासी काली पहाडी (चारणवास) तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।
4. श्रीमति सुमन कंवर पुत्री स्व.श्री किशन सिंह पत्नि श्री महावीर सिंह निवासी चक चारणवास तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।
5. सन्तोष कंवर पुत्री स्व.श्री किशन सिंह
6. अरूण कंवर पुत्री स्व.श्री किशन सिंह
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।
8. उपपंजियक महोदय जमवारामगढ़ तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

...प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री रामकरण शर्मा :– वकील वादी।

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर0टी0एक्ट सहपठित धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय:–

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने यह वाद विरूद्व प्रतिवादी जरिये अधिवक्ता के पेश कर निवेदन किया किया कि वाकै ग्राम काली पहाड़ी (चारणवास) पटवार क्षेत्र राजपुरवास ताला तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 77/203 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 21 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्वर 153मि. रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 19 रकबा 12 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 22 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा स्थित हैं। उक्त भूमियां वादी की पैतृक सम्पत्ति हैं जो वादी के दादा किशन सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी रही हैं जिसमें बरूहें वादी खातेदार हैं उक्त आराजीयात को आगे वाद पत्र में विवादित आराजीयात के नाम से लिखा गया है। वादी एवं प्रतिवादीगण तथा प्रतिवादीगण का सम्पूर्ण खानदान हिन्दू हैं जो कि मिताक्षरा हिन्दू विधि के अधीन आता हैं एवं उन पर उक्त विधि लागू होती हैं। वादी एक पुरूष कोपार्सनर हैं अतः उक्त वंशावली के अनुसार वाद में वर्णित आराजियात वादी की पैतृक सम्पत्ति (एनसेस्टल प्रोपर्टी) हैं तथा उक्त सजरें अनुसार वादग्रस्त भूमियां वादी के दादा स्व.किशनसिंह पुत्र बहादुर सिंह की खातेदारी भूमियां रहीं हैं जिसमें वादी का जन्म से हीं खातेदारी अधिकार हैं तथा अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का वादी को अधिकार हैं तथा स्व. किशनसिंह का पौत्र हैं जो कि कोपार्सनर होने से उक्त कॉपार्सनरी भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी सं. 1 की भांति विधिक खातेदार हैं तथा जिसें अपने पिता प्रतिवादी सं. 1 की मौजूदगी में अपने दादा स्व. किशनसिंह के नाम दर्ज भूमियों में वादी को अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकार हैं। वर्णित भूमियां वादी के दादा स्व. किशनसिंह के फौत होने पर विरासत में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज नहीं हुई हैं। उक्त खातेदारी भूमियों में वादी के पिता का 1/6 हिस्सा निहीत हैं जिसमें विधिक रूप से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का पृथक-पृथक 1/2-1/2 हिस्सा निहीत हैं तथा उक्त हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 काबिज काश्त हैं। वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी

सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ़ जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 1 व वादी का किशनलाल की विरासत में 1/6 हिस्सा निहीत हैं अर्थात् उक्त हिस्से में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 1/2-1/2 हिस्सें के विधिक खातेदार हैं तथा हाल में भी किशनलाल की विरासत का नामान्तकरण अंकित किसी भी वारिसान् के हक में तस्दीक नहीं हुआ और प्रतिवादी सं.1 अपने पिता का नामान्तकरण अकेला खुलवाकर वादी को वादी के अधिकारों से मेहरूम कर वादी के दादा की सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द करने व बेचान करने पर आमादा है। जबकि वादग्रस्त आराजियात कोपार्सनरी भूमियां हैं जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हित हैं। स्व. किशनसिंह से प्राप्त उक्त कोपार्सनरी भूमियों में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादी भी अपने दादा स्व. किशनसिंह के नाम दर्ज भूमियों का कानूनन् खातेदार हैं तथा जिन पर वादी अपनी माता के साथ काबिज हैं, जिसमें वादी का अविभाजित हिस्सा निहीत हैं जिसका वादी बरूहे कानूनन खातेदार होने से अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा बजरिये अदालत करवाकर विधिक बंटवारा करवाने का अधिकारी हैं। प्रतिवादी संख्या 1 वादी व वादी की माता से ईर्ष्या व दुर्भाव रखता हैं तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के बेखावें में आकर विवादित आराजीयात का बेचान करने व वादी को वादी के कब्जे से बेदखल करने पर आमादा हैं। प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त प्रकार से वादग्रस्त कोपार्सनरी आराजीयात सम्पूर्ण का बेचान करने व वादी को वादी के कब्जे से बेदखल करने का अधिकार नहीं हैं। प्रतिवादी संख्या 1 के विरासती हिस्से में वादी स्व.किशनसिंह का पौत्र होने व प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र होने से प्रतिवादी सं. 1 के विरासत में आये हिस्सा 1/6 में से 1/2 हिस्सा वादी का निहीत हैं तथा वादी बरूहें खातेदार हैं, इस कारण वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजीयात को बेचान करने का प्रतिवादी संख्या 1 को अधिकार नहीं है। वादी अपने उक्त हिस्से की भूमि पर अपनी माता के साथ काचिज हैं तथा जबरन प्रतिवादीगण वादी को बेकाबिज करने की फिराक में लगे हुये हैं, इसलिए प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में दखल नहीं करें, वादी को जबरन बेकाबिज नहीं करें तथा वादी के हिस्से की भूमियों पर पुख्ता तामीरात नहीं करें। प्रतिवादी संख्यागण किसी अन्य दीगर को बेचान नहीं करें, राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार की तब्दीली नहीं करवावें। उक्त प्रकार के कार्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करें, ना हीं अपने ऐजेन्ट-सर्वेन्ट, परिवारजन् इत्यादि से करवावें। भूमि वादग्रस्त में वादी के दादा किशनसिंह के फौत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 का किशनसिंह की सम्पत्ति में 1/6 हिस्सा निहीत हैं तथा वादी प्रतिवादी सं. 1 का पुत्र व किशनसिंह का पौत्र होने से प्रतिवादी सं.1 के हिस्से में 1/2 हिस्से का विधिक खातेदार हैं तथा कानूनन् अपने पिता के जीवन काल में हीं अपने अविभाजित हिस्से की घोषणा करवाकर विधिक बंटवारा करवाने का अधिकारी हैं जबकि प्रतिवादी सं.1 वादी को उसके पैतृक विरासती अधिकारों की खातेदारी भूमियों के हक अधिकारों से मेहरूम करने की नियत से अन्य प्रतिवादीगण के साथ मिलकर वादग्रस्त आराजियात को खुर्द-बुर्द करने व बेचान करने पर आमादा हैं तथा वादी को वादी के हिस्से व कब्जे से बेदखल करना चाहता हैं तथा इसी मन्शा से दिनांक 12-09-2012 को प्रतिवादी सं.1 ने वादी की माता को धमकी दी कि वादी की पैतृक हक अधिकारों की भूमि को बेचान करके रहूंगा, इस कारण वादी के लिये उक्त वाद पेश करना लाजिम आया। उक्त वर्णित प्रकार से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी को उसके हिस्सों से महरूम करने के उद्देश्य से वादी को वादी के कब्जे से बेदखल करने लग गया तथा वादग्रस्त भूमि को बेचान करने की धमकियां देने लग गया इसलिए वादी के लिये अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाना आवश्यक हो गया तथा प्रतिवादीगण को उनके उक्त गैरकृत्यों के लिये उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना आवश्यक हो गया। अगर प्रतिवादीगण को वादी द्वारा चाहीं गई स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो प्रतिवादीगण वादी को वादी के अधिकारों से महरूम कर देंगे इसलिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावें कि प्रतिवादी संख्यागण वादग्रस्त भूमि का बेचान, हस्तान्तरण नहीं करें, वादी को वादी के पैतृक हिस्से की भूमियों से बेदखल नहीं करें, वादी के कृषि कार्य में दखल नहीं करें। उक्त कार्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करें, ना हीं अपने ऐजेन्ट-सर्वेन्ट, परिवारजन इत्यादि से करवावें। वादी को वाद प्रस्तुति हेतु वाद कारण उक्त मद संख्या 6 में वर्णित दिनांक 12-09-2012 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। प्रतिवादी संख्या 7 को लैण्ड होल्डर होने से दावें में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है जिनके कोई अनुतोष नहीं चाहा गया हैं तथा प्रतिवादी सं.8 को उपपजियक होने से पक्षकार बनाया गया है जिनसे दावें में किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा हैं, जिन्हें धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना कानूनन् आवश्यक नहीं है।

(क) यह कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण दावा डिकी फरमाया जावे कि मद संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजियात भूमियां वाकै ग्राम काली पहाडी (चारणवास) पटवार क्षेत्र राजपुरवास ताला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 77/203 रकबा 10 विस्वा खसरा नम्बर 21 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 153 मि. रकबा 2 विस्वा खसरा नम्बर 19 रकबा 12 बीघा 6 विस्वा खसरा नम्बर 22 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमियों में वादी की पैतृक भूमि होने से वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में से 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जायें तथा इसी अनुसार प्रतिवादी सख्या 1 को पृथक घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावें।

(ख) यह कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी खातेदारी घोषणा की जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावें कि वाद खण्ड 1 में वर्णित भूमियों का बेचान हस्तान्तरण नहीं करें वादी को वादी के कब्जे काश्त से बेदखल नहीं करें ना हीं वादी को वादी के खातेदारी अधिकारों से मेहरूम करें ना हीं वादी के कृषि कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करें। उक्त कार्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करें, ना हीं अपने ऐजेन्ट-सर्वेन्ट इत्यादि से करवावें।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़ जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलबी जारी की गई। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 6 को तलबी नोटिस भिजवाये एक माह से अधिक समय हो जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने से उक्त के विरूध्द एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी। वकिल वादी ने अपनी में बहस में कहा कि वाकै ग्राम काली पहाडी (चारणवास) पटवार क्षेत्र राजपुरवास ताला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 77/203 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 21 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 153 मि0 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 19 रकबा 12 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 22 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा स्थित है। उक्त भूमियां वादी की पैतृक सम्पत्ति हैं जो वादी के दादा किशन सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी रही हैं जिसमें बरूहें वादी खातेदार है। वादी एवं प्रतिवादीगण तथा प्रतिवादीगण का सम्पूर्ण खानदान हिन्दू हैं जो कि मिताक्षरा हिन्दू विधि के अधीन आता हैं एवं उन पर उक्त विधि लागू होती हैं। वादी एक पुरूष कोपार्सनर हैं अतः उक्त वंशावली के अनुसार वाद में वर्णित आराजियात वादी की पैतृक सम्पत्ति (एनसेस्टल प्रोपर्टी) हैं तथा वादग्रस्त भूमियां वादी के दादा स्व.किशनसिंह पुत्र बहादुर सिंह की खातेदारी भूमियां रहीं हैं जिसमें वादी का जन्म से हीं खातेदारी अधिकार हैं तथा अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का वादी को अधिकार हैं। अतः वादग्रस्त भूमियों में वादी की पैतृक भूमि होने से वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में से 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जायें तथा इसी अनुसार प्रतिवादी सख्या 1 को पृथक घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावें।

वकिल वादी की बहस पर मनन करने व पत्रावली में उपलब्ध वाद पत्र तथा अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करने पर वाद वादी अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 सहपठित धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः वाद वादी विरूध्द प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाकै ग्राम काली पहाडी (चारणवास) पटवार क्षेत्र राजपुरवास ताला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 77/203 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 21 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 153 मि0 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 19 रकबा 12 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 22 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा स्थित है में वादी के विरासती हिस्से तक किसी प्रकार का बेचान नहीं करें तथा वादी के हिस्से मे वादी के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। तद्नुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो ।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 03.10.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़

Scanned with OKEN Scanner